

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3. अधिशासी निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश। | 4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश। |
| 5. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | 6. निदेशक,
नगर भूमि एवं सीमारोपण विभाग,
उत्तर प्रदेश। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर 2018
नितिन

विषय:-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन के अधीनस्थ कार्यरत विभागों/अभिकरणों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के संख्या-13/2018/203/18-2-2017-97(ल०उ०)/2016, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (Gem) पोर्टल के माध्यम से क्रय/आपूर्ति हेतु पंजीकरण एवं अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत समस्त शासनादेश शासकीय वेबसाइट shasanesh.up.nic.in पर उपलब्ध है।

१. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग के अधीनस्थ कार्यरत समस्त अभिकरणों/विभागों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भददीय,
16/8/2018
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।
A

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।